2025

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक................................../पटना, दिनांक...

03/नि0 (बापू सभागार)–06/2025

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– **अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने हेतु माननीय केन्द्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता मंत्रालय एवं भारत सरकार के पदाधिकारी/ विशिष्ट अतिथियों के आवासन एवं बापू सभागार तथा ज्ञान भवन पटना के मल्टी परपस हॉल के आरक्षण पर हुए कुल व्यय जी0एस0टी0 सहित 8,31,436/–(आठ लाख एकत्तीस हजार चार सौ छत्तीस) रूपये मात्र की प्रतिपूर्त्ति बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना को करने के निमित्त निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत**

उपर्युक्त विषयक अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने हेतु माननीय केन्द्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता मंत्रालय एवं भारत सरकार के पदाधिकारी/ विशिष्ट अतिथियों के आवासन एवं बापू सभागार तथा ज्ञान भवन, पटना के मल्टी परपस हॉल के आरक्षण पर हुए कुल व्यय जी0एस0टी0 सहित 8,31,436/–(आठ लाख एकत्तीस हजार चार सौ छत्तीस) रूपये मात्र की प्रतिपूर्त्ति बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना को वित्तीय वर्ष 2025–26 में करने के निमित्त निकासी एवं व्यय की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–सूचना एवं प्रचार, उपशीर्ष–0101–सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय, विपत्र कोड– 09–2425001050101, विस्तृत शीर्ष–20–अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष–02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार अन्तर्गत विकलनीय होगी।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के कार्यालय के लिए प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें, जो राशि की निकासी CFMS के माध्यम से करेंगे। आहरित की गई राशि को NEFT/RTGS के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना के बचत खाते में जमा करेंगे, इसके लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकृत पत्र की आवश्यकता नहीं है।

4. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित, बिहार, पटना के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती किया जायेगा।

6. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की राहमति संचिका संख्या– 03/नि0 (बापू सभागार)–06/2025 पर पृष्ठ संख्या 12/टि0 दिनांक 26.06.2025 को दी गई है।

7. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या–03/नि0 (बापू सभागार)–06/2025 पर पृष्ठ संख्या 13/टि0 दिनांक 04.07.2025 को दी गई है।

विश्वासभाजन

ह०/–

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 210 /पटना, दिनांक 09/07/2025
03/नि0 (बापू सभागार)–06/2025

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय बिहार, पटना को मुहरबन्द लिफाफे में।
2. वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं बजट भाखा, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को अभिश्रव के प्रति के साथ/अवर सचिव, योजना एवं बजट प्रशाखा–03, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

1
(1–4)
08.07.2025

08.7.25

सरकार के अपर सचिव।

(29)

C:\Users\Hp\Desktop\New Microsoft Office Word Document (2).docx